राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2017

दायर दिनांकः–06.09.2017
फैसल दिनांकः–29.05.2019

श्री अब्बास अली पुत्र वाकेर अली भूमियावाला, जाति वोहरा निवासी मोहम्मदिया कॉलोनी, गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट.....

वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गलियाकोट, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट.....

उपस्थिति–1. शैलेष भण्डारी, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा – 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी विरूद्ध आदेश तहसीलदार गलियाकोट
निर्णय दिनांक 07.07.2017 प्रकरण संख्या 01/2017

– निर्णय –

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गलियाकोट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गलियाकोट के समक्ष रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई हैं कि मौजा जुईतलाई की आ.सं. 241 रकवा 1 वीघा 14 विस्वा किस्म चरागाह में श्री अब्बास अली पुत्र वाकेर अली भूकियावाला वोहरा निवासी मोहम्मदिया कॉलोनी गडाजसराजपुर द्वारा अवैद्य अतिक्रमण कर परकोट वना कब्जा किया हैं जिससे उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गलियाकोट में प्रकरण संख्या 01/2017 दर्ज करते हुए अतिक्रमी अपीलान्ट श्री अब्बास अली के विरूद्ध धारा–91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया। अतिक्रमी ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो सीमांकन उपरान्त जवाव पेश करने अवसर चाहा जिससे अवसर प्रदान किया गया किन्तु वाद में जवाव पेश नहीं होने से निर्णय दिनांक 07.07.2017 द्वारा अतिक्रमी वर्तमान अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि से वेदखल करते हुए शास्ती रूपया 250/– वसूल करने का आदेश दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गलियाकोट के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अतिक्रमी/अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2019 को निरस्त फरमाने निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही होना बताते हुए अपील को निरस्त करने निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस समायत की गई। अपीलान्ट की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर सीमांकन करा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा था जिस पर उसे उवसर प्रदान करते हुए आगामी दिनांक 24.06.2017 प्रदान की गई थी। नियत दिनांक से अपीलान्ट आवश्यक कार्य की वजह से अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे आगामी दिनांक 07.07.2017 नियत करते हुए उसी दिनांक को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं बयान पटवारी लेकर एक पक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल एवं कानूनी त्रुटि की हैं। वस्तुतः कथित बिलानाम चारागाह की आराजी सं. 241 के पास ही सटकर अपीलान्ट की पुत्री श्रीमती तस्नीम पत्नि कुतुबुद्दीन बोहरा की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 274 व 275 स्थित हैं जिस पर अपीलान्ट ने परकोटा बनाया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट से मौके की स्थिति की सही जानकारी कराये बगैर एवं आवश्यक दस्तावेजात तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर ही जो आदेश पारित किया हैं वह न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट के खातेदारी भूमि का परकोटा गिरा दिया है जो सही नहीं हैं। दौराने बहस अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि अपीलान्ट का मौजा जुईतलाई की आराजी नंबर 241 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं एवं न हीं उक्त आराजी से अपीलान्ट को कोई संबंध हैं। उक्त आराजी के पास अपीलान्ट की पुत्री श्रीमती तस्नीमा की खातेदारी भूमि हैं जिसकी आराजी नंबर 274 एवं 275 होकर इसकी देखभाल अपीलान्ट करता है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा परकोटा बनाया गया है। अपने कथन की पुष्टि में अपीलान्ट का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत हैं।

विभागीय प्रतिनिधी पेरोकार सरकार ने अपने लिखित जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने बिलानाम चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए परकोटा व कमरा बना दिया हैं जो अवैध हैं एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने से अपीलान्ट की अपील को निरस्त किया जावें।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका की प्रतिलिपी के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 02.06.2017 को अतिक्रमी/अपीलान्ट के उपस्थित होकर चरागाह भूमि की जानकारी नहीं होने से सीमा जानकारी कराने के बाद जवाब या सबूत पेश करने अवसर चाहा गया था। आगामी दिनांक को अतिक्रमी/अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अवसर प्रदान नहीं करते हुए दिनांक 07.07.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। अपीलान्ट की ओर से दौरान बहस इस बात पर जोर दिया गया कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह

कलक्टर ...रपुर (राज.)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

भूमि आराजी संख्या 241 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से अतिक्रमण कर परकोटा नहीं बनाया हैं बल्कि उसने पास ही स्थित उसकी पुत्री श्रीमति तस्नीमा की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 274 व 275 पर परकोटा बनाया है। अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस इस बात भी जोर दिया गया कि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि आराजी नंबर 241 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में अतिक्रमण कर परकोटा नहीं बनाया हैं बल्कि उसके पास ही स्थित उसकी पुत्री श्रीमती तस्नीमा की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 274 व 275 पर परकोट बनाया है। अपीलान्ट ने दौरान बहस अपना शपथ–पत्र भी इस आशय का दिया है कि अपीलान्ट का मौजा जुइतलाई की आराजी नंबर 241 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा चरागाह की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही हैं तथा ना हीं इस भूमि से उसका कोई संबंध हैं। उक्त आराजी के पास ही उसकी पुत्री श्रीमती तस्नीमा की खातेदारी आराजी नंबर 274 व 275 स्थित हैं, जिसकी देखभाल वह करता है तथा इसी भूमि पर परकोटा भी उसके द्वारा बनवाया गया हैं। अपीलान्ट को वर्णित खातेदारी भूमि का सीमांकन कराने एवं बिलानाम चरागाह भूमि बाबत् स्थिति को स्पष्ट कराने का एक अवसर प्रदान करना न्याय संगत होगा।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गलियाकोट द्वारा उनके प्रकरण सं. 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2019 को अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली अधीनस्थ अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड की जाती है कि अपीलान्ट साथ ही अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 15 दिवस में तहसीलदार, गलियाकोट को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर वर्णित खातेदारी भूमि मौजा जुईतलाई की आराजी नंबर 274 एवं 275 का सीमांकन करवाते हुए सही स्थिति की जानकारी अपीलान्ट को करा दी जावे। बिलानाम चरागाह की भूमि आराजी नंबर 241 में अवैध अतिक्रमण की स्थिति में तहसीलदार, गलियाकोट अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार पुनः कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner